नकल निर्णय आदेश दिनांक 10.5.12 [illegible]
वाद संख्या 19/2012 धारा 143 ज0वि0 अधिनियम मौजा
सलेमपुर परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज
[illegible]

न्यायालय उपजिलाधिकारी छिबरामऊ, जनपद कन्नौज

वाद सं0 19/2012
अवधेश चन्द्र दुबे
बनाम
सरकार

धारा– 143 जे0ए0एक्ट एल0 आर0 एक्ट
मौजा– सलेमपुर
परगना व तहसील छिबरामऊ

निर्णय

अवधेश चन्द्र पुत्र शम्भूदयाल निवासी वस्तीराम कस्बा व परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि खाता सं0 152 की गाटासं0 553/2.209 व 555/0.162 का 107/144 भाग क्रमशः क्षेत्रफल 1.642 हे0 व 0.120 हे0 खाता सं0 153 की व गाटा सं0 556/0.441 हे0 का 5/48 भाग अर्थात क्षेत्रफल 0.045 हे0 इस प्रकार कुल 1.807 ग्राम सलेमपुर का आवेदक संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है एवं भूमि जी0टी0 रोड के किनारे पर है जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से भी किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जावे। प्रार्थी के कथन समर्थन में प्रश्नगत भूमि के सहखातेदारान मदनलाल आदि द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि इस भूमि के अकृषक घोषित होने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र की जाँच तहसीलदार छिबरामऊ से करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05.05.2012 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गई है। आख्यानुसार खाता सं0 152 की गाटा सं0 553/0.0209 व 555/0.162 का 107/144 भाग क्रमशः क्षेत्रफल 1.642 व 120 हे0 खाता सं0 153 की गाटा सं0 556/0.441 हे0 का 5/48 भाग अर्थात क्षेत्रफल 0.045 हे0 इस प्रकार कुल 1.807 ग्राम सलेमपुर के संक्रमणीय भूमिधर अवधेश चन्द्र दुबे पुत्र शम्भूदयाल निवासी मो0 बस्तीराम कस्बा व परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा वदखल है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है तथा भूमि उक्त जी0टी0 रोड के किनारे पर जिसका उपयोग व्यवसायिक रूप से भी किया जा रहा है तथा आवेदक की उक्त भूमि अकृषक है। उक्त भूमि पर धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अवधेश चन्द्र पुत्र शम्भूदयाल वस्ती मो0 वस्तीराम कस्बा व परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज की संक्रमणीय भूमि खाता सं0 152 की गाटा सं0 553/2.209 व 555/0.162 का 107/144 भाग क्रमशः क्षेत्रफल 1.642 हे0 व 0.120 हे0 व खाता संख्या 153 की गाटा सं0 556/0.441 हे0 का 5/48 भाग अर्थात क्षेत्रफल 0.045 हे0 इस प्रकार कुल 1.807 को अकृषक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखों में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को नियमानुसार निबन्धन हेतु भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जावे।

10/5/12
उपजिलाधिकारी
छिबरामऊ

O. S. And/ ATTESTED
O. P. YADAV
Advocate NOTARY
Aria Kannauj
H/Q, Chhibramau

क्रमांक 282
प्रार्थी का नाम श्री राजेश छिबरामऊ
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 15-5-12
नकल तैयारी का दिनांक 16-5-12
नकल देने का दिनांक 16-5-12
सम्बन्ध स्टाम्प शुल्क ₹ 3=13.00

NOTARY
NOTARIAL
NOTARIAL
GOVT. OF INDIA

Photocopy
3/1/13